

मिड-डे-मील योजना

हरिश चंद्र चौबीसा*
लक्ष्मीनारायण चौबीसा**

प्रस्तावना

वास्तव में बच्चे इस भावी राष्ट्र के स्वर्णिम व कोमल पुष्प हैं। इन बालक रूपी पुष्पों का समय के साथ प्रभावी तरीके से पोषण आवश्यक है। महात्मा गांधी ने कहा था — “मेरे भारतवासियों मैं इस दुनिया में रहूँ या ना रहूँ, लेकिन राष्ट्र को सुदृढ़ व सशक्त स्वरूप प्रदान करने वाले इन बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु एवं इनके अधिकारों की रक्षा करने का प्रथम दायित्व हमारा है। इनको अधिकारों से वंचित करने का मतलब इनके सर्वांगीण विकास को अवरुद्ध करना है।”

तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने भी इसी बात का समर्थन करते हुए योजना आयोग की रिपोर्ट में कहा था — “राष्ट्र के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन इस तरह से क्रियान्वित किया जाए कि समाज के प्रत्येक नागरिक को उस योजना का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके।”

वर्तमान संदर्भ में राष्ट्र के सशक्तीकरण हेतु विभिन्न योजनाओं, अधिनियमों का शुभारंभ किया गया, जैसे — मनरेगा योजना, छात्रवृत्ति-प्रोत्साहन

योजना, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, सूचना का अधिकार, खाद्य-आपूर्ति अधिनियम, ग्राम-स्वच्छ निर्मल योजना, पंचायत सशक्तीकरण, पर्यावरण संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम आदि। बच्चों को भरपेट भोजन मिले, वे मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, विद्यालय में उनका ठहराव रहे तथा उन्हें गुणात्मक शिक्षा मिले इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा मिड-डे-मील योजना का क्रियान्वयन राष्ट्र के लिए एक महान् उपलब्धि है।

आज बच्चों के सर्वांगीण विकास एवं कुपोषण से भारत को बचाने के लिए इस महती योजना के प्रभावी क्रियान्वयन का बोझ केवल एक शिक्षक एवं विद्यालय प्रबंधन समिति पर डालकर हम अपनी ज़िम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते, इस योजना के प्रभावी एवं गुणात्मक दृष्टि से क्रियान्वयन में राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक की सौ प्रतिशत सहभागिता नितांत आवश्यक है, ताकि बच्चों को विद्यालय में पौष्टिक आहार मिले, उनका विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित हो सके, वे एक स्वस्थ वातावरण में अपने आपको

* सहायक आचार्य, लोकमान्य शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालय, डबोक, उदयपुर (राजस्थान)

** सहायक आचार्य, ज्योतिबा फूले शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालय, उदयपुर (राजस्थान)

समायोजित कर सकें एवं मानसिक व शारीरिक रूप से परिपक्व बन सकें।

मिड-डे-मील योजना का स्वरूप

मिड-डे-मील योजना एक अत्यंत जीवनोपयोगी योजना है, जो भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के प्रयासों से संचालित है जिसके अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को 80 प्रतिशत उपस्थिति पर प्रतिमाह 3 किग्रा गेहूँ अथवा चावल दिए जाने की व्यवस्था की गई थी, किंतु योजना के अंतर्गत छात्रों को दिए जाने वाले खाद्यान्न का पूर्ण लाभ छात्र को न प्राप्त होकर उसके परिवार के मध्य बँट जाता था। उस समय पके-पकाए भोजन की व्यवस्था भी नहीं थी। इससे छात्रों को वांछित पौष्टिक तत्व कम मात्रा में प्राप्त होते थे।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28 नवंबर 2001 को दिए गए निर्देशों के क्रम में राष्ट्र में दिनांक 1 सितंबर 2004 से पका-पकाया भोजन प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध कराने की व्यवस्था दी गयी है। वर्तमान में इस योजना से प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर पर अध्ययनरत करोड़ों बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं तथा सशक्त, समृद्ध एवं कुपोषणरहित भारत का निर्माण हो रहा है।

मिड-डे-मील योजना के उद्देश्य

योजना के क्रियान्वयन हेतु मध्याह्न भोजन प्राधिकरण का गठन निम्न उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया गया है, जिससे बच्चों को पौष्टिक भोजन के साथ-साथ

उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके तथा भावी राष्ट्र सशक्त एवं समृद्ध बन सके एवं राष्ट्र के प्रत्येक बच्चे के चेहरे पर मुस्कान आ पाए। इस योजना के निम्न उद्देश्य हैं —

- (i) प्रदेश के राजकीय, परिषदीय तथा राज्य सरकार द्वारा अर्हताप्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना;
- (ii) विद्यालयों में छात्रों के ठहराव को सुनिश्चित करना एवं गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना;
- (iii) पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराकर बच्चों में शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता को विकसित करना;
- (iv) बच्चों में भाई-चारे एवं आपसी सद्भावना को विकसित करना;
- (v) एक साथ भोजन कराकर जातिगत विषमता व भेदभाव दूर करना;

मिड-डे-मील योजना का क्रियान्वयन

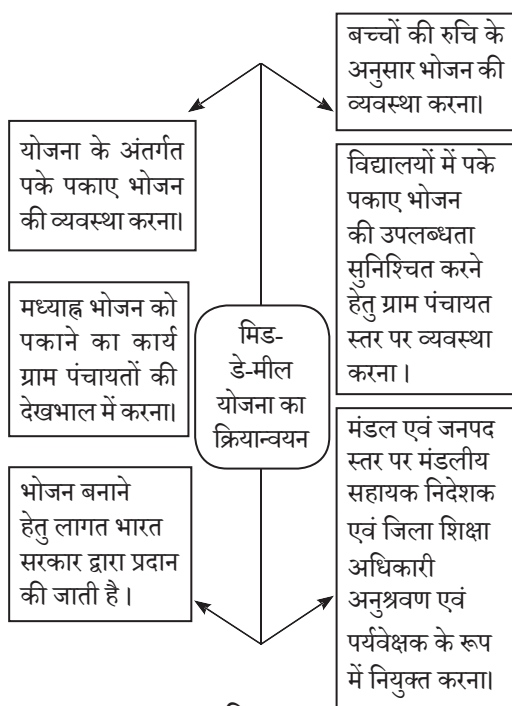
मिड-डे-मील योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार ने विभिन्न पहलुओं पर अपना प्रभावी दृष्टिकोण रखा है, जिससे कि इस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जा सके व बच्चों के सर्वांगीण को आधार मिल सके। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन निम्न प्रकार से किया जाता है। जिसे चित्र 1 में दर्शाया गया है।

इस प्रकार इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में भारत सरकार द्वारा हर स्तर पर प्रभावी प्रबंधन किया जा रहा है। वास्तव में देखा जाए तो पूर्ण व्यवस्थित

मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण के माध्यम से ही मिड-डे-मील योजना का प्रभावी क्रियान्वयन संभव है।

मिड-डे-मील योजना में आने वाली समस्याएँ
वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो यह योजना गरीबों को पौष्टिक भोजन दिलाने एवं कुपोषण से मुक्ति दिलाने तथा शिक्षा के प्रसार को बढ़ाने के लिए प्रारंभ की गई, किंतु दुर्भाग्य की बात है कि यह योजना ठीक से लागू नहीं हो पाई। इस योजना के क्रियान्वयन में कई समस्याएँ आ रही हैं जैसे—

मिड-डे-मील योजना के प्रभावी क्रियान्वयन का आधार



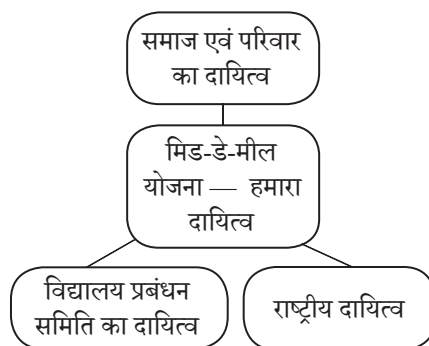
चित्र 1

- (i) व्यापक स्तर पर राशन-सामग्री की खरीद में परेशानियाँ,
- (ii) कानून की शिथिलता,
- (iii) विद्यालय प्रबंधन समिति के आपसी समन्वय, विचार-विमर्श एवं निर्णयों का अभाव, एवं
- (iv) समाज व अभिभावकों में जागरूकता का अभाव।

मिड-डे-मील योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में हमारा दायित्व

मिड-डे-मील जैसी बहुपयोगी राष्ट्रीय योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में हम सबकी सहभागिता आवश्यक है। यदि बच्चों को स्वच्छ एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है तो हम सभी को अपने-अपने स्तर पर ज़िम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा जिससे योजना का लाभ राष्ट्र के प्रत्येक बच्चे को मिल सके। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में हम तीन स्तर पर अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। जैसा कि चित्र 2 में दर्शाया गया है।

मिड-डे-मील योजना — हमारा दायित्व



चित्र 2

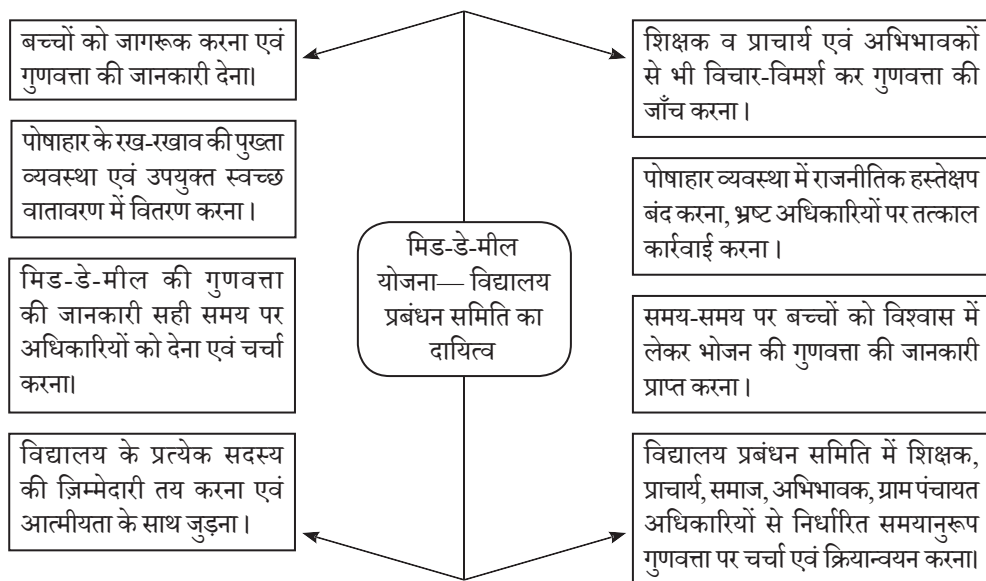
वास्तव में देखा जाए तो परिवार, समाज, विद्यालय प्रबंधन समिति एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी प्रबंधन तथा समस्त कार्यप्रणाली में आपसी समन्वयता, पारदर्शिता, उचित निर्णयों, व्यवस्थित निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण, नियमों की अनुपालना के आधार पर ही योजना को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकता है जिससे बच्चों को अधिक से अधिक लाभ पहुँचे। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक स्तर पर अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो कि चित्र 3 में दर्शाई गयी हैं।

मिड-डे-मील योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में विद्यालय प्रबंधन का दायित्व

वास्तव में देखा जाए तो बालक, कोमल व निर्मल मन से अपने शिक्षक को आदर्श मानकर अपने जीवन के

मार्ग को प्रशस्त करता है। ऐसे में जब बालक अपने परिवार को छोड़कर पूर्ण रूप से प्रातःकालीन बेला पर गुरुचरणों का वंदन करता है तो निश्चित ही एक आदर्श शिक्षक का यह परम दायित्व बन जाता है कि बालक के सर्वांगीण विकास हेतु सतत प्रयत्नशील बना रहे। बालक को विद्यालय में संपूर्ण पौष्टिक आहार उपलब्ध हो। उसकी गुणवत्ता निश्चित हो, बच्चों के लिए बनने वाला भोजन वास्तविक रूप से खानापूर्ति न हो। बच्चों को दिया जाने वाला भोजन शुद्ध, व्यवस्थित एवं मानक निर्धारित नियमों से बना हुआ हो आदि पहलुओं की विशिष्ट जानकारी का परम दायित्व एक विद्यालय प्रबंधन समिति का है जो उसकी गुणवत्ता की जाँच कर बच्चों के मध्याह्न भोजन के अधिकार को वास्तविक रूप से सुनिश्चित करे। अतः विद्यालय प्रबंधन समिति

मिड-डे-मील योजना—विद्यालय प्रबंधन समिति का दायित्व



चित्र 3

चित्र 3 के अनुसार क्रियान्वयन कर गुणवत्ता को बनाए रख सकती है, जिससे बच्चों को पौष्टिक मध्याह्न भोजन प्राप्त हो सके।

इस प्रकार यदि विद्यालय प्रबंधन समिति सही मायनों में प्रभावी तरीके से कार्य करेगी तो निश्चित ही बालक का सर्वांगीण विकास होगा तथा वह शिक्षा के साथ जुड़कर इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में अपना नाम रोशन करवाएगा। इस प्रकार स्कूलों में नामांकन एवं ठहराव की समस्या का समाधान भी स्वतः ही हो जाएगा।

मिड-डे-मील योजना — समाज एवं परिवार का दायित्व

एक सजग माता-पिता का यह परम दायित्व है कि उन्हें समय-समय लागू होने वाली योजनाओं की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए ताकि विद्यालय में अध्ययन-अध्यापन व विभिन्न छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन,

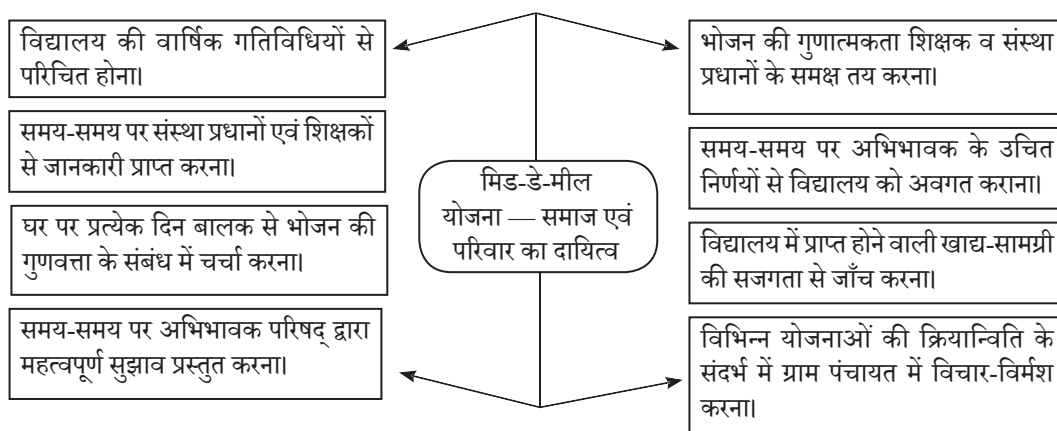
मिड-डे-मील आदि योजनाओं की गुणात्मकता बनी रहे तथा बालक का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। इसके लिए अभिभावक निम्न तरीके से अपनी सहभागिता प्रदान कर सकते हैं जैसा कि चित्र 4 में दर्शाया गया है—

यदि समाज एवं परिवार बतायी गई बातों का व्यवस्थित ध्यान रखें तो निश्चित ही राष्ट्र के बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु संचालित मिड-डे-मील जैसी गुणवत्ता युक्त व राष्ट्रीय योजना द्वारा भारत के बच्चों को केवल संपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ही मुक्त नहीं कर सकते अपितु आने वाले भारत को सशक्त व समृद्ध भी बना सकते हैं।

मिड-डे-मील योजना — राष्ट्रीय दायित्व

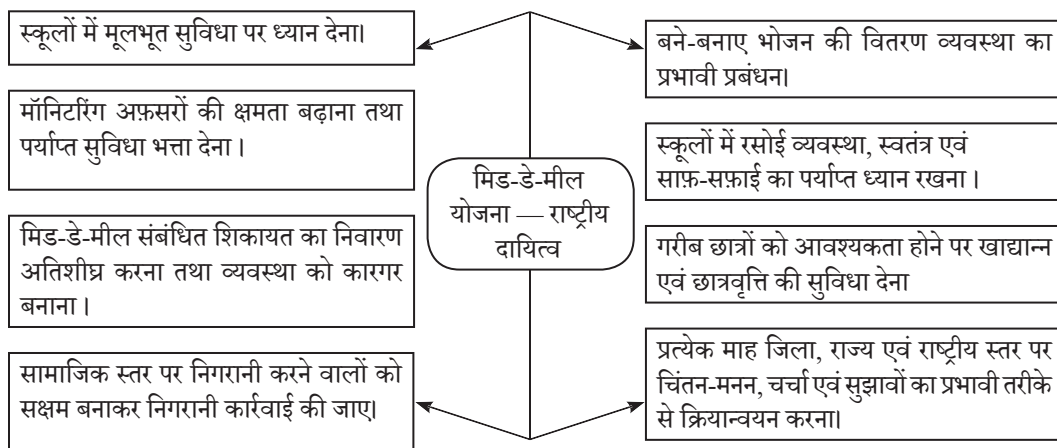
राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण मिड-डे-मील योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में हमारी सकारात्मक सहभागिता नितांत आवश्यक है, जिससे इस योजना का लाभ राष्ट्र के

मिड-डे-मील योजना — समाज एवं परिवार का दायित्व



चित्र 4

मिड-डे-मील योजना — राष्ट्रीय दायित्व



चित्र 5

सभी बच्चों को व्यवस्थित रूप से मिल सके अतः हमारा दायित्व है कि हम विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान दें। राष्ट्रीय दायित्वों को चित्र 5 में विस्तार से दर्शाया गया है।

उपसंहार

मिड-डे-मील समस्याओं का समाधान नितांत आवश्यक है। राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का यह परम दायित्व है कि वह केवल अपने बच्चों को विद्यालय

भेजकर ही निश्चित ना हो जाए बल्कि विद्यालयों में संचालित प्रत्येक गतिविधि से अवगत रहे। अपने बच्चों को पूर्ण विश्वास में लेकर समस्त शैक्षिक एवं मिड-डे-मील जैसी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय योजनाओं के बारे में भी जानकारी दें तथा इसके प्रभावी क्रियान्वयन में अपना अमूल्य योगदान दें जिससे कि राष्ट्र के प्रत्येक बच्चे के चेहरे पर मुस्कान आए। वास्तव में यही हमारी सच्ची जीत होगी।